Rs.5 5 रु. 5 रु. Rs.5 5 रु. Rs.5
COURT FEE
भारत INDIA भारत भारत INDIA भारत INDIA
पाँच रुपये FIVE RUPEES पाँच रुपये पाँच रुपये FIVE RUPEES पाँच रुपये FIVE RUPEES

न्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, राजस्व मंडल ग्वालियर कैम्प भोपाल

प्रकरण क्रमांक /2019 (45)

निगरानी-0555/2019/सीहोर/भू.रा.

कालूराम आ. श्री लालजीराम जाति लोढ़ा

पेशकर्ता श्री .... द्वारा आज दिनांक 16/4/19 को पेश। निवासी ग्राम दुरगॉंव तहसील श्यामपुर जिला सीहोर................................निगरानीकर्ता

वाचक

विरूद्ध

रामसिंह आ. श्री लालजीराम जाति लोढ़ा

निवासी ग्राम गढ़ा ब्राहम्मण तहसील बैरसिया

जिला भोपाल म0प्र0...रेस्पाण्डेंट

(308)

CF: 8-5-19

निगरानी अंतर्गत 50 म.प्र.भू.रा.1959 विरूद्ध आदेश दिनांक 14/03/2019 जो प्रकरण कमांक 1304/अपील/17-18 में अधिनस्थ न्यायालय आयुक्त महोदय भोपाल संभाग भोपाल द्वारा पारित किया गया।

प्रकरण जो आहुत किये जाने है:-

01. प्रकरण कमांक 1304/अपील/17-18 आदेश दिनांकित 14/03/2019 पारित द्वारा न्यायालय आयुक्त महोदय, भोपाल संभाग भोपाल म0प्र0

02. प्रकरण कमांक 160/अपील/16-17 आदेश दिनांक 06/07/2018 पारित द्वारा श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी महोदय, सीहोर

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R-555/2019/सीहोर/Rev [कालूराम/रामसिंह]

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
8-5-19	प्रकरण का अवलोकन किया गया । आवेदक पक्ष द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त न्यायालय के द्वितीय अपील में पारित आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । म0प्र0भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25-09-2018 से लागू हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50(2)(ख) के अन्तर्गत द्वितीय अपील में पारित आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय को प्रकरण के सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं होने से यह निगरानी सुनवाई हेतु अग्राह्य की जाती है । अध्यक्ष	